प्रारंभिक परीक्षा

पेरियार स्मारक

संदर्भ

केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री केरल के वायकोम में पेरियार स्मारक का उद्घाटन करेंगे।

पेरियार और वायकोम सत्याग्रह के बारे में -

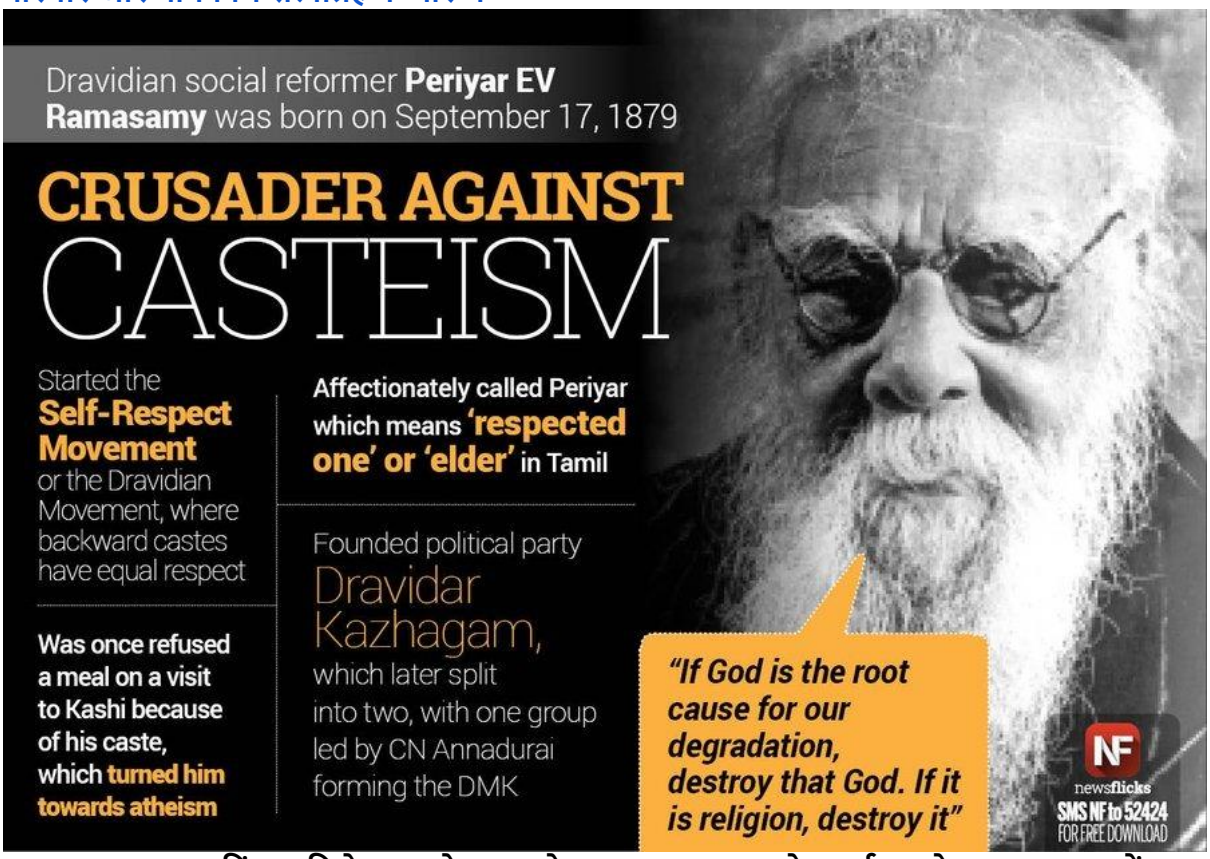

- **यह एक अहिंसक विरोध था जो 1924 से 1925 तक त्रावणकोर (वर्तमान केरल) साम्राज्य में हुआ था।**
- **सत्याग्रह का उद्देश्य**: जातिगत भेदभाव और छुआछूत को समाप्त करना, जो निचली जाति के हिंदुओं को वायकोम महादेव मंदिर और उसके आसपास की सार्वजनिक सड़कों तक पहुँचने से रोकता था।
- **नेता**: इस आंदोलन का नेतृत्व के. केलप्पन (जिन्हें केरल के गाँधी के नाम से भी जाना जाता है), के. पी. केशव मेनन और टी. के. माधवन ने किया था, जिन्हें महात्मा गाँधी और ई. वी. रामासामी "पेरियार" का समर्थन प्राप्त था।
- **घटनाक्रम**: आंदोलन की शुरुआत 30 मार्च, 1924 को हुई, जब खादी और टोपी पहने स्वयंसेवकों के एक समूह ने मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया।

वर्ष	आंदोलन	नेता	आंदोलन के बारे में
1873	सत्यशोधक आंदोलन	ज्योतिराव फुले	ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध निम्न जातियों, अछूतों और विधवाओं का उद्धार।
1916	जस्टिस पार्टी आंदोलन	डॉ. टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी, सी.एन. मुदलयार	सरकार, शिक्षा और राजनीति में ब्राह्मणवादी नियंत्रण का विरोध किया।
1924	दलित वर्ग आंदोलन	बी.आर. अम्बेडकर	दलित वर्गों के उत्थान पर ध्यान केन्द्रित किया**;** अस्पृश्यता का विरोध किया**;** बहिष्कृत भारत (**1927)** नामक मराठी समाचार पत्र प्रकाशित किया।
1925	आत्म-सम्मान आंदोलन	ई.वी. रामास्वामी नायकर (पेरियार)	जाति व्यवस्था और ब्राह्मण पूर्वाग्रह का विरोध किया**; कुडी अरासु पत्रिका की शुरुआत (**1910)**।**

स्रोत:

- **द हिंदू - पिनाराई, स्टालिन कल वायकोम में पेरियार स्मारक के उद्घाटन के लिए एक साथ आएंगे**

कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष

संदर्भ

ओडिशा सरकार विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (**PVTG**) के लिए सशक्तिकरण और आजीविका सुधार कार्यक्रम (**OPELIP-II)** को लागू करने के लिए कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष**(IFAD)** से ऋण लेने की योजना बना रही है।

कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) के बारे में -

- **IFAD एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो विकासशील देशों में कृषि विकास को बेहतर बनाने और गरीबी को कम करने के लिए काम करती है। (मुख्यालय - रोम, इटली)**
- इसकी **स्थापना 1977 में** वैश्विक खाद्य संकट के जवाब में की गई थी।
- **लक्ष्य**: ग्रामीण लोगों को उनकी खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार करने, उनकी आय बढ़ाने और उनकी लचीलापन को मजबूत करने में सहायता करना।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) के बारे में -

- **विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों(PVTGs) के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नवंबर, 2023 में PM-JANMAN को लॉन्च किया गया।**
- **नोडल मंत्रालय**: जनजातीय कार्य मंत्रालय।
- मिशन **9 मंत्रालयों और विभागों** में 11 प्रमुख हस्तक्षेपों पर केंद्रित है, जिसमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

PVTG के बारे में -

- **ढेबर आयोग (1960-61):** इसने अनुसूचित जनजातियों के बीच असमानताओं की पहचान की, जिसके परिणामस्वरूप आदिम जनजातीय समूह (PTG) श्रेणी का सृजन हुआ।
- **2006 में, PTG श्रेणी का नाम बदलकर PVTG कर दिया गया।** PVTG के लिए मानदंड:
    - कृषि-पूर्व जीवनशैली
    - निम्न साक्षरता दर
    - छोटी या स्थिर आबादी
    - निर्वाह अर्थव्यवस्थाएँ।
- 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **ओडिशा में PVTG की संख्या सबसे अधिक (15) है।**

यूपीएससी विगत वर्षों के प्रश्न

प्र. भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (2019)

1. PVTGs देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्यक्षेत्र में निवास करते हैं।
2. स्थिर या कम होती जनसंख्या, PVTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है।
3. देश में अब तक 95 PVTG आधिकारिक रूप से अधिसूचित है।
4. PVTG की सूची में ईरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ शामिल की गईं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) 1, 2 और 3
(b) 2, 3 और 4
(c) 1, 2 और 4
(d) 1, 3 और 4

उत्तर: C

स्रोत:

- **द हिंदू - 'नासमझी भरी फिजूलखर्ची': ओडिशा सरकार का PVTG विकास के लिए बाहरी ऋण लेने का फैसला**

उपकर और अधिभार के बीच अंतर

संदर्भ

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने उपकरों (cesses) और अधिभारों (surcharges) पर केंद्र की बढ़ती निर्भरता के विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा की।

उपकर एवं अधिभार के बारे में -

पहलू	उपकर	अधिभार
परिभाषा	**किसी विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य के लिए लगाया गया कर, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य।**	**उन करदाताओं पर लगाया गया अतिरिक्त कर जिनकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक है।**
उद्देश्य	विशिष्ट सरकारी कार्यक्रमों या परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एकत्रित किया गया धन।	उच्च आय वाले व्यक्तियों या संस्थाओं से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए एकत्र किया जाता है।
प्रयोज्यता	जिस श्रेणी के लिए यह लगाया जाता है, उसके अंतर्गत सभी करदाताओं पर लगाया जाता है।	यह केवल उन करदाताओं पर लगाया जाता है जिनकी आय या लाभ एक निश्चित सीमा से अधिक है।
उपयोग का दायरा	**इसका उपयोग केवल उसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए इसे एकत्र किया गया है।**	**सरकार द्वारा सामान्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है।**
उदाहरण	शिक्षा उपकर (2%), स्वास्थ्य उपकर (1%)	50 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों या अधिक लाभ वाले निगमों पर अधिभार।
संविधान में उल्लेख	**अनुच्छेद 270**	**अनुच्छेद 271**
अधिभार और उपकर दोनों की एक सामान्य विशेषता यह है कि केंद्र को इसे राज्यों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है।		

स्रोत:

- द हिंदू - अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि अधिभार का मुद्दा जटिल है

भारत कौशल रिपोर्ट, 2025

संदर्भ

हाल ही में भारत कौशल रिपोर्ट 2025 लॉन्च की गई।

भारत कौशल रिपोर्ट, 2025 के बारे में -

- **द्वारा तैयार की गई: भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने व्हीबॉक्स और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के सहयोग से।**
- 2025 तक लगभग 55% भारतीय स्नातकों के वैश्विक स्तर पर रोजगार योग्य होने का अनुमान है, जो 2024 में 51.2% से अधिक है।
- प्रबंधन स्नातक 78% के साथ रोजगार में अग्रणी हैं, इसके बाद इंजीनियरिंग (71.5%), एमसीए (71%) और विज्ञान स्नातक (58%) हैं।
- महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली जैसे प्रमुख राज्य प्रतिभा केंद्र के रूप में उभर रहे हैं, पुणे, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहर कुशल कार्यबल प्रदान कर रहे हैं।
- रिपोर्ट में रोजगार दर में लैंगिक असमानता का भी पता चलता है, पुरुषों की रोजगार क्षमता 2024 में 51.8% से बढ़कर 2025 में 53.5% होने की उम्मीद है, जबकि महिलाओं की रोजगार क्षमता 50.9% से घटकर 47.5% होने का अनुमान है।

स्रोत:

- द हिंदू - भारत में रोजगार के मामले में केरल शीर्ष राज्यों में शामिल: रिपोर्ट

चैम्पियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र ने पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल को पश्चिमी घाट में उनके काम के लिए चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल का नेतृत्व किया, जिसने इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की।

चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के बारे में -

- **यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है।**
- इसकी **शुरुआत 2005 में** हुई थी।
- यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार का उद्देश्य असाधारण पर्यावरणीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए टिकाऊ भविष्य के लिए वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना है।
- **श्रेणियाँ:** यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में अग्रणी व्यक्तियों को मान्यता देता है:
    - नीति नेतृत्व
    - प्रेरणा और कार्रवाई
    - उद्यमशीलता की दृष्टि
    - विज्ञान और नवाचार
- **यंग चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ:** 2017 में, इस कार्यक्रम का विस्तार करके यंग चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ पुरस्कार को शामिल किया गया। यह पुरस्कार 18 से 30 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली नवप्रवर्तकों को दिया जाता है।

स्रोत:

- द हिंदू - पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला

सांस्कृतिक मानचित्रण और रोडमैप पर राष्ट्रीय मिशन

संदर्भ

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए ग्रामीण परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन शुरू किया गया।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) के बारे में -

- **इसे 2017 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और दस्तावेजीकरण करने के लिए लॉन्च किया गया था, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।**
- इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।
- **योजना के उद्देश्य:**
    - 6.5 लाख गांवों का उनकी भौगोलिक, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और रचनात्मक राजधानियों के साथ सांस्कृतिक मानचित्रण।
    - सांस्कृतिक विरासत की ताकत और विकास और सांस्कृतिक पहचान के साथ इसके इंटरफेस के बारे में जागरूकता पैदा करना।
    - कलाकारों और कला प्रथाओं के राष्ट्रीय रजिस्टर का निर्माण।
    - राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्य स्थल (एनसीडब्ल्यूपी) के रूप में कार्य करने के लिए एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का विकास।
- **यह मिशन तीन परस्पर संबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित होता है:**
    - **सांस्कृतिक प्रतिभा खोज:** सांस्कृतिक जागरूकता, प्रतिभा खोज और लोक एवं जनजातीय विरासत के पुनरोद्धार के लिए अभियान।
    - **मेरा गांव मेरी धरोहर (MGMD):** स्थानीय कला प्रथाओं, कलाकारों और शिल्पकारों की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक मानचित्रण।
    - **राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल (NCWP):** कलाकारों और शिल्पकारों के लिए इंटरैक्टिव वेब पोर्टल। सांस्कृतिक सेवा प्रदाता के रूप में सेवा देने वाला ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म।

केस स्टडी

- **थोंगजाओ गांव, मणिपुर:**
    - **इसे "मिट्टी के बर्तनों की भूमि" के नाम से जाना जाता है।**
    - पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कुशल शिल्पकार नीलमणि देवी ने पारंपरिक मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को जीवित रखा है।
    - ग्रामीण लोग उपयोगी बर्तनों के साथ-साथ जटिल कलाकृतियां भी बनाते हैं तथा इस शिल्प को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं।
    - **वैश्विक मंच:** मेरा गांव मेरी धरोहर (MGMD) मंच के माध्यम से, थोंगजाओ के मिट्टी के बर्तनों और कारीगरों की कहानियों को विश्व स्तर पर बढ़ावा दिया जाता है।

स्रोत:

- [पीआईबी - राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण एवं रोडमैप मिशन (NMCMR)]

शोधकर्ताओं ने उम्र को चुनौती देने वाले अणुओं को तेजी से खोजने के लिए एआई-आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया

संदर्भ

IIIT-दिल्ली के शोधकर्ताओं ने AgeXtend विकसित किया है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI)-संचालित प्लेटफ़ॉर्म है, जो ऐसे अणुओं की खोज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उम्र बढ़ने को धीमा कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे सकते हैं।

AGEXTEND के बारे में -

- **यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित प्लेटफॉर्म है जिसे ऐसे अणुओं की खोज के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे सकते हैं।**
- इसे इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIIT-दिल्ली) के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है।
- यह मौजूदा जीरोप्रोटेक्टर्स (ऐसे पदार्थ जो बुढ़ापे को धीमा करते हैं) से प्राप्त जैवसक्रियता डेटा का उपयोग करके समान गुणों वाले नए अणुओं की भविष्यवाणी करता है।
- इसके एआई मॉड्यूल जीरोप्रोटेक्टिव क्षमता का मूल्यांकन करते हैं, विषाक्तता का आकलन करते हैं और लक्ष्य प्रोटीन और क्रिया के तंत्र की पहचान करते हैं, जिससे खोज प्रक्रिया में सटीकता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होती है।
- शोधकर्ताओं ने मेटफॉर्मिन और टॉरिन जैसे सुप्रसिद्ध यौगिकों को छोड़कर AGEXTEND का परीक्षण किया**, जो पहले से ही जीवनकाल बढ़ाने वाले अणु माने जाते हैं**, और पाया कि यह प्लेटफॉर्म अभी भी उनके लाभों की भविष्यवाणी कर सकता है।
- AGEXTEND ने 1.1 बिलियन से अधिक यौगिकों की जांच की और आशाजनक उम्मीदवारों की पहचान की, जिन्हें यीस्ट, कैनोरहैबडाइटिस एलिगेंस (एक सूत्रकृमि) और मानव कोशिका मॉडल पर प्रयोगों के माध्यम से प्रमाणित किया गया।
- अनुसंधान में AGEXTEND की मानव माइक्रोबायोम में पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिकों, हमारे शरीर में रहने वाले सूक्ष्म जीवों और कोशिका की उम्र बढ़ने को नियंत्रित करने में उनकी भूमिका का विश्लेषण करने की क्षमता का भी पता लगाया गया।

स्रोत:

- द हिंदू - शोधकर्ताओं ने उम्र को चुनौती देने वाले अणुओं को तेजी से खोजने के लिए एआई-आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया

सी. सुब्रमण्य भारती

संदर्भ

सी. सुब्रमण्यम भारती के कार्यों का पूर्ण और विस्तृत संस्करण प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में जारी किया जाएगा।

सी. सुब्रमण्य भारती के बारे में -

- वह तमिलनाडु के एक कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे।
- **उन्हें महाकवि भरतियार के नाम से जाना जाता था।**
- उनका जन्म 1882 में दक्षिण भारत के एट्टायपुरम में हुआ था और 1921 में मद्रास में उनकी मृत्यु हो गई।
- उन्हें भारत के महानतम कवियों में से एक माना जाता है। राष्ट्रवाद और भारत की स्वतंत्रता पर उनके गीतों ने तमिलनाडु में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में जनता को एकजुट करने में मदद की।
- **भारती 1904 में एक तमिल दैनिक स्वदेशमित्रन के सहायक संपादक के रूप में शामिल हुए।**
- **1907 में उन्होंने एमपीटी आचार्य के साथ तमिल साप्ताहिक इंडिया और अंग्रेजी समाचार पत्र बाला भारतम का संपादन शुरू किया।**
- उन्होंने आर्य पत्रिका में अरबिंदो की सहायता की और बाद में पांडिचेरी में कर्म योगी की सहायता की।
- **1908 में उन्हें ब्रिटिश भारत से निर्वासित कर दिया गया और वे दक्षिण भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी में रहने चले गये।**
- उन्होंने वहां दस वर्ष निर्वासन में बिताए और अंततः मद्रास लौट आये, जहां उनकी मृत्यु हो गयी।
- **भारती की सबसे प्रसिद्ध कृतियाँ:** काणन पट्टू (1917; कृष्ण के गीत), पांचाली सपथम (1912; पांचाली का स्वर) और कुयिल पट्टू (1912; कुयिल का गीत)।
    - उन्होंने वैदिक भजनों, पतंजलि के योग सूत्र और भगवत गीता का तमिल में अनुवाद भी किया।

स्रोत:

- [द हिंदू - प्रधानमंत्री मोदी सुब्रमण्यम भारती की संकलित कृतियों का विमोचन करेंगे]

केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सांप काटने को अधिसूचित बीमारी घोषित करें

संदर्भ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से सांप के काटने को अधिसूचित रोग के रूप में वर्गीकृत करने का आग्रह किया है, तथा निजी और सार्वजनिक दोनों अस्पतालों से मामले की सूचना देने को कहा है।

साँप के काटने के बारे में -

- सांप के काटने से गंभीर चिकित्सा आपातस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके लिए तत्काल देखभाल की आवश्यकता होती है।
- वे गंभीर पक्षाघात का कारण बन सकते हैं, जिससे सांस लेना बंद हो सकता है, घातक रक्तस्राव हो सकता है, तथा विभिन्न ऊतकों को नुकसान पहुंच सकता है।
- सांप के काटने पर मृत्यु और गंभीर लक्षणों को रोकने के लिए एंटीवेनम का प्रयोग करना आवश्यक है।
- **भारत में सर्पदंश के आंकड़े:**
    - **310 साँप प्रजातियाँ** पाई जाती हैं, जिनमें से हैं:
        - 66 विषैले हैं।
        - 42 हल्के विषैले हैं।
        - 23 प्रजातियाँ अपने घातक विष के कारण चिकित्सीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
    - **'बिग फोर' सांप 90% काटने का कारण बनते हैं**: इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर।
    - **वाणिज्यिक पॉलीवैलेंट एंटीवेनम बिग फोर के कारण होने वाले 80% सर्पदंश के लिए प्रभावी है।**
- **सर्पदंश से होने वाले विष के निवारण एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSE):**
    - इसे सरकार द्वारा 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों को आधा करने के उद्देश्य से 2024 में लॉन्च किया गया था।
    - इसमें सर्पदंश को अधिसूचित रोग बनाने की सिफारिश की गई है।
    - उच्च जोखिम वाले राज्यों पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा जैसे: बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात।

अधिसूचित रोग क्या हैं?

- **वे बीमारियाँ जिनके बारे में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए सरकार को सूचित करना कानूनी रूप से आवश्यक है।**
- **उदाहरण:** क्षय रोग, एचआईवी, हैजा, मलेरिया, डेंगू और हेपेटाइटिस।
- **मानदंड**:
    - प्रकोप उत्पन्न होने की संभावना है।
    - इससे बड़ी संख्या में मौतें हो सकती हैं।
    - तेजी से सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - केंद्र सरकार क्यों चाहती है कि राज्य सांप काटने को अधिसूचित बीमारी बनाएं?

न्यायाधीशों को आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है

संदर्भ

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में की गई टिप्पणियों से, जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त हो गया है।
- उनकी टिप्पणियों को मुस्लिम समुदाय के प्रति अपमानजनक माना गया, जिसके कारण उनके आचरण की आंतरिक जांच की मांग की गई।

न्यायिक नैतिकता

- **न्यायपालिका दो प्रमुख स्रोतों से अपनी शक्ति प्राप्त करती है:**
  - अपने प्राधिकार की सार्वजनिक स्वीकृति।
  - न्यायपालिका की अखंडता।
- न्यायपालिका ने इन सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, आचार संहिता की स्थापना की है।
  - **न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (1997):**
    - 7 मई 1997 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया।
    - न्यायपालिका की निष्पक्षता में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, इसमें न्यायिक व्यवहार की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
    - न्यायाधीशों को ऐसे किसी भी कार्य से बचना चाहिए, जो न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता हो।
    - न्यायाधीशों को यह स्मरण रखना चाहिए कि, वे सदैव सार्वजनिक जांच के दायरे में रहते हैं।
  - **न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांत (2002):**
    - न्यायिक आचरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
    - न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, उनका आचरण न्यायिक निष्पक्षता में जनता के विश्वास को बनाए रखे।
    - न्यायाधीशों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, किन्तु उन्हें इस तरह से कार्य करना चाहिए, जिससे उनके पद की गरिमा और स्वतंत्रता बनी रहे।
    - न्यायाधीशों को सामाजिक विविधता के संदर्भ में जागरूक होना चाहिए और सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए।

न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया

संसद द्वारा

- किसी न्यायाधीश को **"सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता"** के आधार पर, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
- यद्यपि संविधान में "महाभियोग" शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका उपयोग आमतौर पर अनुच्छेद 124 (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए) और अनुच्छेद 218 (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए) के अंतर्गत, पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया (न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 के अनुसार):

- **महाभियोग प्रस्ताव का आरंभ:**
  - महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है:
    - **लोकसभा:** कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस की आवश्यकता होती है।
    - **राज्यसभा:** कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस की आवश्यकता होती है।

○ अध्यक्ष (लोकसभा के लिए) या सभापति (राज्यसभा के लिए) प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने से पूर्व, व्यक्तियों से परामर्श कर सकते हैं और प्रासंगिक सामग्रियों की जांच कर सकते हैं।

- **जांच समिति का गठन:**
  ○ यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष या सभापति आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। इस समिति में शामिल हैं:
    - सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश
    - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
    - एक प्रतिष्ठित न्यायविद्

• **आरोप निर्धारित करना:** समिति आरोप निर्धारित करती है और न्यायाधीश को इसकी एक प्रति प्रदान करती है, जो लिखित बचाव प्रस्तुत कर सकता है।
• **समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना:** जांच पूरी करने के बाद, समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है।
○ इसके बाद रिपोर्ट को संसद के संबंधित सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
• **प्रस्ताव पर विचार:** यदि रिपोर्ट में दुर्व्यवहार या अक्षमता का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो पास से हटाने के प्रस्ताव पर सदन में विचार किया जाता है और उस पर बहस की जाती है।
• **प्रस्ताव को अपनाना:** प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में निम्नलिखित द्वारा पारित किया जाना चाहिए:
○ उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से।
○ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से।
○ यदि प्रस्ताव एक सदन में पारित हो जाता है तो, उसे अनुमोदन के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है।
• **राष्ट्रपति का आदेश:** एक बार जब दोनों सदन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जो न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करता है।

टिप्पणी:
- निष्कासन प्रस्ताव के अतिरिक्त, विधायिका किसी न्यायाधीश के कदाचार पर चर्चा नहीं कर सकती।

इन-हाउस प्रक्रिया

- 1999 में स्थापित और 2014 में सार्वजनिक की गई यह प्रक्रिया, गंभीर आरोपों का सामना कर रहे न्यायाधीशों को सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचने के लिए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान करती है।
- यह प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत को, निम्नलिखित के पास भेजने की अनुमति देती है:
  - राष्ट्रपति।
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)।
- शिकायतों की जांच की प्रक्रिया:
  - **चरण 1**: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शिकायत प्राप्त होती है और वह न्यायाधीश से प्रतिक्रिया मांग सकते हैं।
  - **चरण 2:** यदि आगे की जांच की आवश्यकता होती है, तो शिकायत और प्रतिक्रिया भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेज दी जाती है।
  - **चरण 3:** भारत का मुख्य न्यायाधीश एक तथ्यान्वेषी समिति नियुक्त कर सकता है, जिसमें शामिल होंगे:
    ■अन्य उच्च न्यायालयों से दो मुख्य न्यायाधीश ।
    ■ एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

- **जांच का परिणाम:** यदि पर्याप्त आधार पाए जाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित न्यायाधीश को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने के लिए कह सकता है।
    - यदि न्यायाधीश ऐसा करनें से इनकार करते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सूचित कर सकते हैं, जिससे महाभियोग की कार्यवाही आरंभ हो सकती है।

स्रोत: **द हिंदू: न्यायाधीशों को आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है**

संपादकीय सारांश

भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम लक्ष्य

संदर्भ

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, अगले दो दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए तैयार है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) जैसे शक्तिशाली और पुन: प्रयोज्य रॉकेट विकसित करके, अंतरिक्ष तक पहुंच में रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करना है।

अगले दो दशकों के लिए ISRO का रोडमैप

- **गगनयान मिशन:** भारत की मानव-अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने वाला, पहला भारतीय मानव-अंतरिक्ष उड़ान मिशन।
- **2030 तक अंतरिक्ष स्टेशन**: भारत का लक्ष्य, पृथ्वी की कक्षा में अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है।
- **चंद्रमा पर मानव-अंतरिक्ष उड़ान:** चंद्र मिशनों के लिए, मानव-अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं का विस्तार करने का दीर्घकालिक लक्ष्य।
- **नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) का विकास:**
    - **विशेषताएं और क्षमताएं:**
        - **भारी लिफ्ट क्षमता:** NGLV, वर्तमान **LVM**3 (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल **Mk III)** की पेलोड क्षमता को तीन गुना बढ़ा देगा।
        - **पुन: प्रयोज्यता:** वर्तमान व्यय योग्य रॉकेटों के विपरीत, **NGLV** के कुछ हिस्से पुन: प्रयोज्य होंगे, जिससे महत्वपूर्ण लागत बचत होगी।
    - **लाभ:**
        - लघुकरण या वजन प्रतिबंध की आवश्यकता को कम करता है।
        - अंतरिक्ष मिशनों के लिए संभावनाओं का विस्तार करता है।
    - **वर्तमान रॉकेटों के साथ तुलना:**
        - **LVM3:** यह भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, लेकिन इसकी पेलोड क्षमता 4,000 किलोग्राम तक सीमित है तथा इसे जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट (**GTO**) तक ले जाया जा सकता है।
        - **स्पेसएक्स का फ़ॉल्कन 9:**
            - पुन: प्रयोज्य संस्करण, 5,500 किलोग्राम वजन **GTO** तक ले जा सकता है।
            - एक्सपेंडेबल संस्करण, **GTO** तक 8,300 किलोग्राम वजन ले जाता है।
        - **स्पेसएक्स का स्टारशिप:** पुन: प्रयोज्य रॉकेट, 21,000 किलोग्राम भार को **GTO** तक तथा 100,000 किलोग्राम भार को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है।

भारी भारोत्तोलन क्षमता वाले रॉकेटों की तत्काल आवश्यकता क्यों है?

- **आगामी अंतरिक्ष मिशनों के लिए बड़े पेलोड की आवश्यकता**: **चंद्रयान -3** जैसे मिशनों और भविष्य के मानव चंद्र मिशनों के लिए ऐसे रॉकेट की आवश्यकता होगी, जो भारी मॉड्यूल और उपकरण ले जा सकें।

- उदाहरण के लिए, भारत के अगले मानवरहित चंद्र मिशन में मॉड्यूल लॉन्च करने के लिए दो **LVM3** रॉकेट की आवश्यकता होगी, जिन्हें बाद में अंतरिक्ष में इकट्ठा किया जाएगा। एक भारी-भरकम रॉकेट इस प्रक्रिया को सरल बना सकता है।

- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी उन्नति**: स्पेसएक्स जैसे प्रतिस्पर्धियों ने ऐसे रॉकेट विकसित किए हैं जो अत्यधिक भारी पेलोड (उदाहरण के लिए, स्टारशिप द्वारा जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में **21,000** किलोग्राम) उठाने में सक्षम हैं।
  - प्रतिस्पर्धी बने रहने और **रणनीतिक स्वायत्तता** हासिल करने के लिए, भारत को तुलनीय भारी-लिफ्ट क्षमताओं की आवश्यकता है।
- **विदेशी लॉन्च प्रदाताओं पर निर्भरता**: **LVM3** जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट (**GTO)** में अधिकतम **4,000** किलोग्राम वजन उठा सकता है, जो मिशन क्षमताओं को प्रतिबंधित करता है।
  - उदाहरण के लिए, **GSAT-N2** जैसे इसरो उपग्रहों के हालिया लॉन्च को पेलोड सीमाओं के कारण स्पेसएक्स के फाल्कन **9** पर निर्भर रहना पड़ा।

जहां भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों में पिछड़ा हुआ है

- **भारी लिफ्ट और पुन: प्रयोज्य रॉकेट प्रौद्योगिकी**: इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, **LVM3,** जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट (**GTO)** तक केवल **4,000** किलोग्राम वजन उठा सकता है।
  - **पुन: प्रयोज्यता** अभी भी **विकास के चरण में है,** जबकि स्पेसएक्स जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धी पहले ही फाल्कन **9** और स्टारशिप जैसे पुन: प्रयोज्य रॉकेटों का संचालन कर चुके हैं।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी**: अमेरिका की तुलना में भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र अपने **शुरुआती चरण में** है, जहां स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां नवाचार का नेतृत्व करती हैं।
  - भारतीय स्टार्टअप के लिए भारी-भरकम रॉकेट विकसित करने और लॉन्च करने के सीमित अवसर।
- **अंतरिक्ष अवसंरचना और निवेश**: लगातार और विविध प्रक्षेपणों के लिए अंतरिक्ष बंदरगाहों और जमीनी बुनियादी ढांचे में अपर्याप्त निवेश।
  - उन्नत प्रणोदन प्रणालियों और मानव-अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकियों के लिए सीमित परीक्षण सुविधाएं।

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है

- **पुन: प्रयोज्य रॉकेटों के विकास में तेजी लाना**: इसरो के अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (NGLV) के विकास को प्राथमिकता देना।
  - पुन: प्रयोज्य भारी-लिफ्ट रॉकेट विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की पहल को वित्त प्रदान करना।
  - पुन: प्रयोज्य प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाने के लिए विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग करना।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना**: निजी अंतरिक्ष कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल लागू करना।
  - निजी कंपनियों को प्रक्षेपण यान, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए मील का पत्थर-आधारित वित्तपोषण प्रदान करना।
  - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भारतीय स्टार्टअप और वैश्विक अंतरिक्ष फर्मों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना।
- **वैश्विक बाज़ार में हिस्सेदारी बढ़ाना**: वाणिज्यिक प्रक्षेपणों को आकर्षित करने के लिए लागत-प्रतिस्पर्धी, पुन: प्रयोज्य रॉकेट विकसित करना।

स्रोत: [द हिंदू: अंतरिक्ष में अग्रणी देश के रूप में भारत के बढ़ते कदम]

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की विश्व सौर रिपोर्ट 2024 क्या कहती है?

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) द्वारा विश्व सौर रिपोर्ट 2024 जारी की गई।

निष्कर्ष क्या थे?

- 2000 में 1.22 गीगावॉट से, दुनिया की सौर क्षमता 2023 में बढ़कर 1,419 गीगावॉट हो गई है, जो लगभग 36% सीएजीआर है।
- आज, सौर क्षमता दुनिया भर में सभी नवीकरणीय क्षमता वृद्धि का तीन-चौथाई प्रतिनिधित्व करती है।
- रिपोर्ट बताती है कि उपयोगिता-पैमाने पर सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) परियोजनाओं के लिए औसत नीलामी कीमतों में 2024 में $40/मेगावाट की औसत लागत के साथ काफी कमी आई है।
- भारत ने नीलामी के माध्यम से प्रदान की गई सौर पीवी क्षमता के वैश्विक चार्ट में शीर्ष पर रहते हुए $34/मेगावाट का उल्लेखनीय नीलामी मूल्य हासिल किया।
- सौर पीवी प्रौद्योगिकी में निवेश 2024 में $500 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है, जो अन्य सभी पीढ़ी प्रौद्योगिकियों में निवेश से अधिक है।
- **रोजगार वृद्धि:** सौर पीवी क्षेत्र में नौकरियां 2023 में बढ़कर 7.1 मिलियन हो गईं (2022 में 4.9 मिलियन से अधिक)।

वैश्विक सौर बाजार अवलोकन

- **सौर पीवी क्षमता (2023) में प्रमुख देश:**
  - **चीन**: वैश्विक क्षमता का 43% (609 गीगावॉट)।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका**: 10% (137.73 गीगावॉट)।
  - **जापान, जर्मनी और भारत**: प्रत्येक के पास 5-6% हिस्सेदारी है।
  - **उभरते बाज़ार**: ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इटली और स्पेन प्रत्येक का योगदान लगभग 2% है।
- **विनिर्माण विकास:**
  - **2023**: वेफर्स, सेल और मॉड्यूल के लिए वैश्विक सौर पीवी विनिर्माण क्षमता लगभग दोगुनी हो गई।
  - **घटक विनिर्माण में चीन की हिस्सेदारी:**
    - वेफर्स: 97%
    - सेल: 89%
    - मॉड्यूल: 83%

अन्य उद्योगों में सौर ऊर्जा का उपयोग

- **कृषि परिवर्तन:**
  - **सौर ऊर्जा चालित सिंचाई:** डीजल चालित पंपों पर निर्भरता कम हो जाती है।
  - वैश्विक सौर पंप बाजार **5.8% (2021-2027) की सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है** ।
- **एग्रीवोल्टाइक्स प्रणालियाँ:**
  - पशुधन प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है।
  - पैनल बिजली पैदा करने के साथ-साथ पशुओं के लिए छाया भी प्रदान करते हैं।

- **पे-एज-यू-गो बिजनेस मॉडल:** इस मॉडल ने सौर प्रणालियों को अपनाने में एक प्रेरक शक्ति की भूमिका निभाई।

- इससे उपयोगकर्ताओं को छोटी, नियमित किश्तों में भुगतान करने की सुविधा मिलती है, जिससे वह किफायती हो जाते हैं।

स्रोत: **द हिन्दू: सौर ऊर्जा की वैश्विक हिस्सेदारी कितनी है?**

भारत-बांग्लादेश को नई वास्तविकताओं से जूझना होगा

संदर्भ

भारत-बांग्लादेश संबंध, जिन्हें कभी आदर्श द्विपक्षीय संबंध माना जाता था, हाल की राजनीतिक घटनाओं और तनावों के कारण काफी खराब हो गए हैं।

दरार पैदा करने वाले प्रमुख मुद्दे

- **शेख हसीना की स्थिति:** राजनीतिक उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत भाग गईं।
    - पुलिस दमन और भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए उनकी वापसी की मांग कर रहा है।
- **अल्पसंख्यकों पर हमले:** भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर बढ़ते हमलों को लेकर चिंतित है।
- **भारतीय हस्तक्षेप की धारणा:** बांग्लादेश अपने आंतरिक मामलों में "अवांछित भारतीय हस्तक्षेप" को लेकर नाराज है।
- **विरोध और प्रतिशोध:** बांग्लादेश में एक हिंदू भिक्षु की राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के खिलाफ भारत में विरोध प्रदर्शन के कारण त्रिपुरा में बांग्लादेशी मिशन पर हमले हुए।
    - ढाका में भारतीय राजनयिक मिशनों और सांस्कृतिक केंद्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए।

आगे की राह

- **संतुलित कूटनीति की आवश्यकता:** भारत को अल्पसंख्यकों पर हमलों से संबंधित चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए तथा बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और समावेशी प्रक्रिया की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए।
    - इसके साथ ही, भारत को क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने के लिए अपने पड़ोसियों की चिंताओं को भी सुनना चाहिए।
- **नई वास्तविकताओं के साथ जुड़ाव:** भारत को बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ जुड़ना चाहिए।
    - दोनों देशों के दीर्घकालिक हितों के लिए एक "घनिष्ठ, परामर्शात्मक साझेदारी" आवश्यक है।

स्रोत: द हिंदू: टू टू टैंगो

स्वरोजगार को कैसे उपयोगी बनाया जाए

संदर्भ

कृषि क्षेत्र का प्रभुत्व, विनिर्माण की उपेक्षा करते हुए सेवा क्षेत्र की ओर बदलाव के साथ, स्व-रोज़गार के लगातार उच्च स्तर में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

भारत की श्रम शक्ति की प्रमुख विशेषताएँ

- **कम भागीदारी और स्थिर संरचना**: भारत में कामकाजी उम्र की आबादी के बीच कार्यबल भागीदारी की दर कम है।
    - श्रम बल भागीदारी की संरचना दशकों से काफी हद तक अपरिवर्तित बनी हुई है।
- **उच्च स्व-रोज़गार दर**: अन्य मध्यम-आय अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में स्व-रोज़गार श्रमिकों का अनुपात अधिक है और वेतन और वेतनभोगी श्रमिकों की हिस्सेदारी कम है।
    - 50% से अधिक कामकाजी आबादी स्व-रोज़गार है:
        - ग्रामीण क्षेत्र: लगभग 60% स्व-रोज़गार।
        - शहरी क्षेत्र: लगभग 40% स्व-रोज़गार।
    - 2017-18 और 2023-24 के बीच विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं में स्व-रोज़गार में वृद्धि हुई है।
- **स्व-रोज़गार में लैंगिक असमानता:**
    - पुरुष: मुख्य रूप से स्वयं के खाते वाले श्रमिक (अपने उद्यम चलाते हैं)।
    - महिलाएं: बड़े पैमाने पर "घरेलू उद्यमों में सहायक"।
    - जबकि 2017-18 और 2023-24 के बीच स्वयं-खाता श्रमिकों में लैंगिक अंतर कम हो गया है, "सहायक" के रूप में काम करने वाली महिलाओं का अनुपात बढ़ गया है।

उच्च स्व-रोजगार के निहितार्थ

- **कार्य की गुणवत्ता और उत्पादकता संबंधी मुद्दे:** उच्च स्वरोजगार स्तर खराब कार्य गुणवत्ता और कम उत्पादकता को दर्शाते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
    - बेहतर अवसरों की कमी के कारण स्वरोजगार अक्सर एक विकल्प बन जाता है।
- **अनौपचारिकता और सुरक्षा का अभाव:** स्व-नियोजित श्रमिकों को औपचारिक नौकरी लाभों का अभाव होता है , जैसे:
        - सामाजिक सुरक्षा कवरेज
        - सवेतन वार्षिक या बीमारी अवकाश
        - लिखित रोजगार अनुबंध
    - इसके परिणामस्वरूप काम में अनौपचारिकता बढ़ जाती है।
- **कम आय और अल्परोज़गार**
    - स्व-रोज़गार की कमाई आकस्मिक श्रम के स्तर से बमुश्किल ऊपर है।
    - 2017-18 और 2023-24 के बीच लैंगिक आय का अंतर बढ़ गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
    - **शून्य आय:** जेंडर की परवाह किए बिना, लगभग सभी स्व-रोज़गार सहायक शून्य आय की रिपोर्ट करते हैं।
    - स्व-रोज़गार वाली महिलाएँ अक्सर प्रति सप्ताह 40 घंटे से कम काम करती हैं, जिससे अल्प-रोज़गार की स्थिति बनती है।

स्व-रोजगार की गुणवत्ता में सुधार की बाधाएं

- **शिक्षा और कौशल की कमी**

- **निम्न शिक्षा स्तर:** 2017-18 में, केवल 17% स्व-नियोजित श्रमिकों ने कक्षा XII या उससे अधिक की शिक्षा पूरी की थी, जो 2023-24 में मामूली रूप से बढ़कर 20.6% हो गई।
  - **स्वरोजगार वाली महिलाओं के लिए:**
    - ✓ **2017-18**: 9% ने हाई स्कूल या उससे आगे की शिक्षा पूरी की।
    - ✓ **2023-24:** केवल 11.4% तक बढ़ा।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण:**
  - **अत्यंत निम्न:** सभी स्वरोजगारियों में से केवल 3% के पास कोई औपचारिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण था।
    - ✓ यह अंतर उनके कौशल को बढ़ाने और उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।

- **औपचारिक ऋण तक सीमित पहुंच**
  - **सीमित ऋण पहुंच:** कई स्व-नियोजित श्रमिकों के पास औपचारिक ऋण बाजार तक पहुंच का अभाव होता है, जिससे उनके व्यवसाय का विस्तार करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
    - लगभग 41% असंगठित गैर-कृषि प्रतिष्ठान घरेलू परिसर में छोटे पैमाने पर संचालित होते हैं।
    - सीमित ऋण से उधार लेने की लागत बढ़ जाती है और ऋण का आकार छोटा हो जाता है, जिससे उद्यमों की वृद्धि बाधित होती है।
  - **उत्पादकता पर प्रभाव:** स्वयं खाता प्रतिष्ठानों (ओएई) की उत्पादकता (प्रति श्रमिक 1 लाख रुपये) किराये पर लिए गए श्रमिक प्रतिष्ठानों (एचडब्ल्यूई) (प्रति श्रमिक 2 लाख रुपये) की तुलना में काफी कम है।
- **प्रशासनिक एवं कानूनी चुनौतियाँ**
  - **जटिल कानूनी प्रक्रियाएं:** नौकरशाही बाधाओं के कारण औपचारिक उद्यम शुरू करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
    - उद्यमियों को प्रायः परिवार द्वारा प्रबंधित फर्मों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे विकास बाधित होता है।
  - **न्यायालय की खराब कार्यकुशलता का प्रभाव:** न्यायालय की अकुशलता अनुबंध प्रवर्तन में बाधा डालती है और उत्पादकता कम करती है।
    - एससी-एसटी उद्यमियों पर असंगत नकारात्मक प्रभाव।
    - उद्यमों की विस्तार और रोजगार सृजन की क्षमता प्रभावित होती है।
  - **प्रभाव का उदाहरण:** व्यावसायिक प्रबंधन में अंतर भारत और अमेरिका के बीच प्रति व्यक्ति आय के अंतर का 11% है।

स्वरोजगार की गुणवत्ता बढ़ाने के समाधान

- **व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा:** व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार करना और इसे उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना।
  - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के तहत आईटीआई स्नातकों के लिए ऋण पहुंच की सुविधा प्रदान करना।
- **औपचारिक ऋण तक पहुंच:** स्वरोजगार और उद्यम के आकार का विस्तार करने के लिए औपचारिक ऋण बाजारों तक पहुंच में सुधार करना।
- **प्रशासनिक एवं कानूनी सुधार:** औपचारिक उद्यम शुरू करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना।
  - अनुबंध प्रवर्तन में सुधार लाने तथा व्यवसाय संचालन में घर्षण को कम करने के लिए न्यायालयों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस: अपने काम को सार्थक बनाना